न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 1/2018

1 भोली बेवा ईशवरराम
2 जगमालराम }– पुत्रगण ईशरराम
3 रामकरण
4 फूसाराम पुत्र लाधूराम
5 अमलखराम }– पुत्रगण रामरखराम
6 पाबूराम
7 शांति देवी बेवा अनोपाराम
8 मांगीलाल }–पिसरान अनोपाराम
9 सीता

– जाति विश्नोई निवासीगण मोडायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर

– अपीलांटस

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर – रेस्पोडेन्ट मुकाम कोलायत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री हरिराम विश्नोई, अभिभाषक, अपीलार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28–05–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत–1 हाल उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा / आदेश दिनांक 1–11–2017 के विरूद्व अपीलान्टगणों को बिना सुनवाई के एकतरफा तौर पर ग्राम राणासर की कृषि भूमि खसरा न0 202 तादादी 36 बीघा भूमि को विनियम मे दी गई, को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया के विरूद्व अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

(2) संक्षेप में अपीलमीमो के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांगडसर में स्थित खेत खसरा नम्बर 811 तादादी 81.17 बीघा भूमि मुख्य नहर इंगानयो के बांयी ओर अपीलांटा के पति ईशरराम की 1/3 हिस्सा अपीलांटगण संख्या 4 व अपीलांट संख्या 5, 6 के पिता रामरख 2/3 हिस्सा की गैर खातेदारी भूमि थीं व उक्त गैर खातेदारी भूमि तादादी 81.17 बीघा मे से सडक से दांई तरफ की 36 बीघा भूमि अवाप्त की गई व उसके बदले ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 202/2 मे 36 बीघा भूमि दी गई जबकि विनिमय मे

सत्य प्रति प्रमाणित

उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि लेने की मृतक ईशरराम व जावित फूसाराम ने कभी भी कोई सहमति नही दी फिर भी सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए ग्राम राणासर की भूमि दी गई जिस पर अपीलांटगणों का कोई कब्जा काश्त नही हैं। अपीलांटगणों का कब्जा काश्त अपनी पुश्तैनी भूमि ग्राम बांगडसर के खसरा नम्बर 811 तादादी 81.17 बीघा पर हैं। उक्त भूमि अवाप्ति दिनांक 31.1.1987 को की गई जिसको करीब 30 वर्ष व 9 माह हो चुके हैं व अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 31 वर्षो बाद उक्त भूमि बिना कोई नोटिस सूचना के सिचाई विभाग के नाम भूमि दर्ज कर दी गई हैं व अपीलांटगणों को बताया कि आपको राणासर मे भूमि दे रखी हैं। तब अपीलांटगणों ने जरिये वकील उक्त विनिमय मे दी गई भूमि जरिये इस्तीफा खारिज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी अलग से पत्रावली कायम न करते हुए पूर्व मे शिकायत प्रार्थना पत्र मे ही एक आर्डरशीट से ही आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया जो कानूनन हर प्रकार से उक्त आदेश निरस्त योग्य हैं, निरस्त फरमावें।

(3) अपीलांटगणों को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का कोई अवसर ही नही दिया गया। अपीलांटगणों को पिता ईशरराम व फूसाराम ने कभी कोई भूमि विनियम मे लेने की सहमति ही नही दी व ना ही उक्त भूमि को अपीलांट रखना चाहते हैं। अपीलांटसगण अपनी पुश्तैनी भूमि ही रखना चाहते हैं सो उक्त आदेश इस्तीफा का जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं उसे निरस्त फरमाते हुए उक्त भूमि का इस्तीफा स्वीकार फरमाने का आदेश फरमावें।

(4) अपीलांटगणों का ना तो विनियम मे भूमि आवंटन के वक्त कोई सहमति ली गई थीं व ना ही अब उक्त इस्तीफा के वक्त सुनवाई का अवसर दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है सो उक्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर इस्तीफा स्वीकार फरमावे।

(5) उक्त आदेश की नकल के लिए दिनांक 30.11.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 14.12.17 को मिली व दिनांक 16, 17 को राजकीय अवकाश एवं 18 व 19 तारीख को बार एसोसिएशन कार्य स्थगन होने के कारण अपील 20.12.17 को अंदर मियाद प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.11.2017 निरस्त फरमाते हुवे अपील स्वीकार फरमावें।

(6) अपील के नोटिस भिजवाये गये। सरकार की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आयें तथा अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया जाकर अपील सं0 18/17 जो इसी न्यायालय मे विचाराधीन हैं के संलग्न किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.17 इसी पत्रावली मे आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्र कमांक 817 दिनांक 26.3.18 से जबाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि विनिमय से आवंटन की गई है तथा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र से पूर्व

Scanned by CamScanner

ही अवाप्त शुदा भुमि सिचांई विभाग के नाम दर्ज की जा चुकी है । ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित नही था । अतः अपील खारिज फरमाई जावें ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट को विनियम मे मिली हैं। विनिमय के संबंध मे कानूनी एतराजात बाबत अलग से अपील इस न्यायालय /अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी स्थिति मे यह प्रकरण मात्र भूमि समर्पण (इस्तीफा) का नही हैं। क्योंकि प्रश्नगत भूमि के समर्पण के साथ–साथ अपीलान्ट ने बागंडसर की भूमि यथावत रखने का भी निवेदन किया था जोकि तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का विषय नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.11.2017 मे कोई त्रुटि नही हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एम0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

प्रति प्रमाणित

उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

Scanned by CamScanner